

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय छाप-

श्रीमान भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकीय सहायित जीव बुनियाद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक सत्र 2020-21 हेतु विधेयक प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण सामग्री को अनुसूचित प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को सार्वक प्रथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में उपस्थित हुए सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त नई सामग्री को सम्बद्धता/पूर्ति के संरक्षित सामग्री को सम्बद्धता विस्तार/सावधान/प्रवेश समता बुद्धि कक्षाओं को सौंप कर विचार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-3 में विधेयक इन राजकीय पदचक्रण संरक्षित करने वाली पूर्ति से सम्बद्धता/सम्बद्धता का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित क्लोनिंग इन कार्गरी पाठ्यक्रम संरक्षित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को उक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न तालिका को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्री को अतिम पाठ्यक्रम एवं समने कक्षाओं प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का नाम                                | पाठ्यक्रम का नाम      | पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता | पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता |
|----------|---------------|--|-----------------------|---|---|
| 1        | 1988          | रिजिस्ट्रार, एडुकेशनल इन्फो. और कार्गरी, एन। | विद्यार्थी इन कार्गरी | 80  | 80  |

**सम्बद्धता हेतु सत्री**

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ/परिषद द्वारा निर्णय की गयी सत्री का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र 2020-21 प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विधेयकसत्री 1988, संशोधन विधेयकसत्री 2020 तथा अन्य निर्मित निर्णय एवं अटोमी का अनुपालन करनी तथा सुक निशिला सत्री द्वारा निशिला सुक सत्र 2020-21 हेतु सत्र 20,1988/00- अतिम, से सत्री कार्गरी पाठ्यक्रम हेतु 20-25,000/00/- कीर्ण्य सत्र एक सत्री से सत्री पाठ्यक्रमों (की अतिम सत्री) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु 20-25,000/-

*(Handwritten Signature)*

00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को सम्बन्ध में समझ-समझ पर आसल हुए निर्गत किये जाने वाले आसलप्रदेश प्रकटी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस विद्यार्थी समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु वीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो वीस की नवीनता दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (50000 प्रतिवर्षिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्गत आसलप्रदेश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एजमिनेटिओरिडेंट/पीपीओआई से आसली साथ हेतु अनुसूचक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उक्त प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले विधि/नियमों/अतिरिक्तों/आसलप्रदेशों/निदेशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, कक्षा, अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 5000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 5000 द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ विधेयक इन कार्यवाही कार्यक्रम की संस्थाएं यदि पीपीआई, आई विलो से अनुसूचक प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त आसलप्रदेश संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उक्त प्रदेश शासन को कोई कार्य वापर किया जाता है तथा वापर कर के संस्था में स. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधेयक इन कार्यवाही कार्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्राप्त होने के पूर्व पीपीओआई से अनुसूचक प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (कार्यालयित के माध्यम से कक्षा संबंधित स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनता आसल नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिका, स्टाफ, सार-समझ, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपसूक्त आसलप्रदेश उपलब्ध करने के साथ वैदिक लेखन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को चलाने वाले हेतु शिक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराते एवं अतिरिक्त, भूमि-भरण, कमीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधेयकानुसार अनुसूक्तसम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(50 अक्षरों में)  
सचिव

पुणे- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, बीपीओ/एओ एडुकेसनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कर्नाटी, एटा.

(50 अक्षरों में)  
सचिव

## कार्यालय,

### सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

#### :-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियमितक शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

#### संस्था का कोड एवं नाम : 1956-B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA

| क्र0सं0 | पाठ्यक्रम का नाम    | ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--|--------------------------------|
| 1       | DIPLOMA IN PHARMACY | 60   | 60                             |

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विद्यमान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राप्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रश्नवी होमें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्वारा बनाने गये विधि/विद्यार्थी/अधिधिगर्भ/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सार्वजनिक को कोई कदम दाख किया जाता है तथा दाख कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुष्टि भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रेगिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तुत/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण टोटा न यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निषणानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA

  
(सुनील कुमार सोनकर)



**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या:- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/8785****लखनऊ: दिनांक: 20/09/2022****:कार्यालय ज्ञापन:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/परमेश्वरी कंसमिशन लोक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी स्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता सविधि की वेबक संपन्न हुई। वेबक में सविधि द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता सविधि की वेबक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में लिख संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 90 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1956-B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA**

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम    | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--|---|
| 1       | DIPLOMA IN PHARMACY | 60   | 60  |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सविधि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय चारवर्षी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय चारवर्षी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण सविधि द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बगाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं

निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उतरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उतरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उतर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कर्नी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उतर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैंगिंग रोडने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर्नी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्मक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्यक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/8786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA



(एफ0आर0 खान)

सचिव